पत्रांक——/आयु0क0उत्तरा0/धारा–57–अनुभाग/वाणि0कर/2012–13/देहरादून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57 अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक :25जून ,2013

प्रार्थना पत्र संख्या –14599/21–01–2013
सर्वश्रीलिपि डाटा सिस्टम लि0,
पता–58/1 ग्राउण्ड फ्लोर, पंचशील शापिंग कॉम्पलैक्स,
कोलागढ़ रोड,देहरादून।
उपस्थिति – श्री नवीन नागलिया, अधिवक्ता फर्म
निर्णय का दिनांक – जून ,2013

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम,2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

सर्व श्री लिपि डाटा सिस्टम द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया है। उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उनके द्वारा कम्प्यूटर हार्डवेयर के मैन्टीनैन्स का ठेका लिया जाता है। उनके द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत यह स्पष्ट किये जाने की प्रार्थना की गई है कि उनका कर का दायित्व क्या होगा। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा जारी किए जाने वाले बिल व एक एग्रीमेन्ट की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल की गई है।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून से आख्या मॉगी गई। उनके द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि " व्यापारी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ कम्पयूटर हार्डवेयर के मैन्टीनैन्स के सम्बन्ध में एग्रीमेन्ट की फोटो प्रति दी गई है, किन्तु अनुलग्नक संलग्न नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि कम्पयूटर हार्डवेयर के सम्बन्ध में एग्रीमेन्ट केवल मैन्टीनैन्स तक ही सीमित है। एग्रीमेन्ट से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान खराब पार्ट्स का रिप्लेसमेन्ट कौन करेगा अर्थात खराब पार्ट्स रिप्लेसमेन्ट अनुबन्ध में शामिल है अथवा नहीं । यदि अनुबन्ध के अधीन खराब पार्ट्स का रिप्लेसमेन्ट कम्पनी द्वारा किया जाता है तो उसके मूल्य तक कर का दायित्व कम्पनी का होगा तथा लेबर अंश पर कोई कर दायित्व आकर्षित नहीं होता है। कार्य संविदा में कितना वस्तु का हस्तान्तरण हुआ है और कितना लेबर पार्ट्स निहित है, यह निर्णय कर अधिकारी द्वारा करनिर्धारण के समय लिया जाता है। "

प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री नवीन नागलिया, अधिवक्ता फर्म द्वारा उपस्थित होकर तथ्य प्रस्तुत किए गए। उनके द्वारा सुनवाई के समय यह कहा गया है कि अनेक राज्यों द्वारा अपने नियमों में यह प्राविधान किया गया है कि यदि इस प्रकार का कोई मैन्टीनैन्स कॉन्ट्रेक्ट लिया जाता तो उसमें कितने प्रतिशत लेबर का भाग माना जायेगा एवं कितने प्रतिशत माल का हस्तान्तरण माना जायेगा। चूंकि उत्तराखण्ड राज्य में इसप्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं हुई है, इस कारण से उनके द्वारा कर का दायित्व निर्धारित करने में कठिनाई आ रही है।

व्यापारी के प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई के समय प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर विचार किया गया। साथ ही वैट नियम व अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का भी अवलोकन किया गया। व्यापारी द्वारा यह बताया गया है कि उनके द्वारा इस प्रकार के कॉन्ट्रेक्ट के सम्बन्ध में

पत्र संख्या आवश्यक कार्यवाही करें
2538 26/6/13
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक)